न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन भूअभिलेख अधिकारी श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 130/2022(जी.सी.एम.एस. 2022/341)

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1. जोगेन्द्र सिंह पुत्र भाग सिंह जाति बावरी निवासी चक 43 जीजी खरलां तहसील श्रीकरणपुर।		1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर

तारीख रजू:– 17.06.2022

उपस्थित: 1.श्री भगवान दास अधिवक्ता वादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट,

—निर्णय— दिनांक : 28.03.2024

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम चक 41 एफ, पटवार हल्का 43 जीजी खरलां, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 34/34 में वादी का नाम संयुक्त खातेदारान के साथ दर्ज है। उक्त खाता में वादी का नाम जंगीर दर्ज है। जबकि वादी का सही नाम जोगेन्द्र सिंह है। जिसे वादी दुरूस्त करवाना चाहता है। ताकि भविष्य में किसी प्रकार से कोई असुविधा न हो। वर्तमान में फसल बेचान, अनुदान/ऋण संबंधित आवेदन पत्र तथा जमाबंदी एवं गिरदावरी इत्यादि दस्तावेजात ऑनलाईन हो चुके है, जिनका दस्तावेजो के अनुरूप खातेदार का नाम मिलान किया जाता है, उसके पश्चात् ही अनुदान/ऋण इत्यादि की स्वीकृति प्रदान करना अनिवार्य कर दिया है। इस कारण विभिन्न समस्याओ से वादिया को झूजना पड़ रहा है। इसलिए भी उक्त संशोधन करवाने हेतु वादिया माननीय न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत कर उक्त आशय के संशोधन हेतु घोषणा करवा रही है। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर चक 41 एफ, पटवार हल्का 43 जीजी खरलां, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 34/34 अंकित नाम जंगीर के स्थान पर जोगेन्द्र सिंह नाम घोषित किया जाकर, उपर्युक्तानुसार संशोधन करने हेतु डिक्री पारित की जावे।

2. वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार श्रीकरणपुर के पंत्राक 866 दिनांक 19.03.2024 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार श्रीकरणपुर की रिपोर्ट मुताबिक चक 41 एफ की जमाबन्दी के खाता संख्या 34/34 के मुरब्बा नम्बर 32 में 3.162 हैक्टेयर भूमि जंगीर पुत्र भाग सिंह के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। गत जमाबन्दी सम्वत 2069 ता 72 के खाता संख्या 34 में इंतकाल संख्या 341 विरास्तन दर्ज हुआ। जिसमें वादी की माता का विरास्तन इंतकाल दर्ज हुआ है। उसमें वादी का नाम जंगीर सिंह उर्फ जोगेन्द्र सिंह पुत्र भाग सिंह दर्ज हुआ। सेग्रीगेशन के दौरान रिकॉर्ड में वादी का नाम जंगीर सिंह पुत्र भाग सिंह दर्ज हो गया। पटवारी हल्का द्वारा मौके पर पूछताछ की गई। उपस्थितजनों ने बताया कि वादी का नाम जोगेन्द्र सिंह उर्फ जंगीर सिंह पुत्र भाग सिंह है, जोगेन्द्र सिंह व जंगीर सिंह एक ही व्यक्ति है।

3. बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, वादपत्र, शपथ पत्र, रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर का अध्ययन किया। वादी के अधिवक्ता की बहस सुनी, सुसंगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों चक 41 एफ, पटवार हल्का 43 जीजी खरलां, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 34/34 की प्रति, चक 41 एफ, पटवार हल्का 43 जीजी खरलां, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2069 ता 2072 के खाता संख्या 34/34 की प्रति, आधार कार्ड की छायाप्रति,

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2025.09.04 12:20:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

परिवार राशन कार्ड की छायाप्रति, के अवलोकन से स्पष्ट है। कि वादी के द्वारा चक 41 एफ, पटवार हल्का 43 जीजी खरलां, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 34/34 अंकित नाम जंगीर के स्थान पर जोगेन्द्र सिंह दर्ज करवाने बाबत निवेदन किया है। वादी के परिवार राशन कार्ड, आधार कार्ड में नाम जोगेन्द्र सिंह पुत्र भाग सिंह दर्ज है। रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर के अनुसार गत जमाबन्दी सम्वत 2069 ता 2072 के खाता संख्या 34 में वादी की माता का विरास्तन इंतकाल संख्या 341 दर्ज हुआ है। उसमें वादी का नाम जंगीर सिंह उर्फ जोगेन्द्र सिंह पुत्र भाग सिंह दर्ज है। सेग्रीगेशन के दौरान रिकॉर्ड में वादी का नाम जंगीर सिंह पुत्र भाग सिंह दर्ज हो गया। पटवारी हल्का द्वारा मौके पर पूछताछ की गई। उपस्थितजनों ने बताया कि वादी का नाम जोगेन्द्र सिंह उर्फ जंगीर सिंह पुत्र भाग सिंह है, जोगेन्द्र सिंह व जंगीर सिंह एक ही व्यक्ति है। अतः वाद पत्र वादी रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर, वादी के द्वारा प्रस्तुत पहचान सम्बन्धी दस्तावेजात, शपथ पत्र, के आधार पर स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

-:आदेश:-

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136-राजस्व भू अधिनियम 1956 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 41 एफ, पटवार हल्का 43 जीजी खरलां, भू.अ.नि.क्षेत्र खरलां, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 34/34 में क्रम संख्या 2 पर अंकित नाम जंगीर पुत्र भाग सिंह के स्थान पर जंगीर सिंह उर्फ जोगेन्द्र सिंह पुत्र भाग सिंह दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। इस खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

निर्णय आज दिनांक 28.03.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इंजलास सुनाया गया।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) ★ श्री करणपुर (श्री गंगानगर) ★ सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2025.09.04 12:20:28 IST
Reason: SelfAttested

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{आर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)
जोगेन्द्र सिंह बनाम राजस्थान सरकार
धारा अन्तर्गत 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट
मुकदमा नम्बर 130/2022
निर्णय दिनांक :- 28.03.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादी अधिवक्ता श्री भगवान दास उपस्थित होने पर** आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136-राजस्व भू अधिनियम 1956 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 41 एफ, पटवार हल्का 43 जीजी खरलां, भू.अ.नि.क्षेत्र खरलां, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 34/34 में क्रम संख्या 2 पर अंकित नाम जंगीर पुत्र भाग सिंह के स्थान पर जंगीर सिंह उर्फ जोगेन्द्र सिंह पुत्र भाग सिंह दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। इस खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

आज दिनांक 28.03.2024 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अरजी	00	--
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	--
योग	04	00	योग	00	00

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर
दिनांक: 28.03.2024

क्रमांक: रीडर/ 2024/105
प्रतिलिपि: तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) ✦ श्री करणपुर (श्री गंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2025.09.04 12:20:28 IST
Reason: SelfAttested